



100% TO THE
POINT

UPSSSC

वन दरोणा

चयन परीक्षा

28 जनवरी, 2023

को जारी पाठ्यक्रमानुसार

- ऋतेश कुमार सिंह
संदीप यादव

Visit our **YouTube** Channel
For Free Video Scan QR CODE



Puja Publication



Online Shop @ www.navjeevanprinters.in

UPSSSC वन दरोणा चयन परीक्षा



100% TO THE
POINT

UPSSSC

द्वारा आयोजित

वन दरोगा चयन परीक्षा

28 जनवरी, 2023

को जारी पाठ्यक्रमानुसार



नवजीवन प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स

कंचन मार्केट (फर्स्ट फ्लोर) अस्पताल मार्ग, आगरा-282003

दूरभाष : (0562) 4101500, 7002054055

Website : www.navjeevanprinters.in E.Mail : navjeevanprinters@gmail.com



like us for current updates & GK
[facebook.com/pujabooks](https://www.facebook.com/pujabooks)

मूल्य : ₹200.00

IAS**PCS****UGC****NDA****CDS****SSC****B.ED.****BANK****RAILWAY****एवं अन्य परीक्षाओं हेतु उपयोगी****NCERT व CSAT पैटर्न पर आधारित**

सामान्य ज्ञान GENERAL KNOWLEDGE



अब बड़े
साइज में
उपलब्ध

No. 1 Book

पूर्णतः रंगीन संस्करण

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले 15 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित

**नवजीवन प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स**

कंचन मार्केट (फर्स्ट फ्लोर) अस्पताल मार्ग, आगरा-282003

दूरभाष : (0562) 4101500, 7002054055

E.Mail : contact@navjeevanprinters.in

प्रकाशक : राजीव जैन, नवजीवन प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स,

कंचन मार्केट (फर्स्ट फ्लोर), अस्पताल मार्ग, आगरा-3

मुद्रक : पार्श्वनाथ प्रिन्टर्स, आगरा

© इस पुस्तक में प्रकाशित सामग्री का पूर्ण अधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। इस पुस्तक को या इसके किसी भाग को प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित करना वर्जित है।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है। फिर भी किसी त्रुटि कि लिए प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा। किसी भी परिवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र केवल आगरा ही होगा।

वन दरोगा की लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि दो घण्टा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा।

परीक्षा योजना

विषय	प्रश्नों की संख्या	निर्धारित कुल अंक	समयावधि
विषयगत ज्ञान	100	100	120 मिनट

नोट—उपर्युक्त परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग (ऋणात्मक अंक) दिये जाने का प्राविधान है, जो सही प्रश्न के अंक का 25 प्रतिशत अर्थात् $\frac{1}{4}$ होगी।

पाठ्यक्रम

1. राष्ट्रीय वन नीति
2. राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना
3. राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार
4. आरक्षित वन और संरक्षित वन
5. पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र
6. हाथी और टाइगर रिजर्व
7. इको-सिस्टम, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन
8. वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम
9. जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण और सीओपी-27 सम्मेलन
10. कार्बन क्रेडिट
11. मृदा और आर्द्रता संरक्षण
12. वनीकरण और कृषि वानिकी
13. वन बंदोबस्त
14. वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण
15. वन आपदाओं की चुनौतियाँ और रोकथाम
16. वन उपज
17. वन प्रमाणन
18. मानव-वन्यजीव संघर्ष
19. वन दरोगा के कर्तव्य एवं अधिकार
20. वृक्षारोपण कार्य योजना
21. वन पर्यावरण और उसके लाभ
22. वन एवं वन्य जीव संरक्षण
23. वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून और नीतियाँ
24. भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान
25. वन पारिस्थितिकी
26. भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र

विषय-सूची

- राष्ट्रीय वन नीति, आरक्षित वन एवं संरक्षित वन, कार्बन क्रेडिट, वन दरोगा के कर्तव्य एवं अधिकार, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021, वन पारिस्थितिकी, कृषि वानिकी, वृक्षारोपण कार्ययोजना, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन उपज, भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र, सीओपी-26, 27, 28, मानव-वन्यजीव संघर्ष, वन आपदाओं की चुनौतियाँ और रोकथाम, भारतीय अर्थव्यवस्था से वनों का योगदान 1-7
- पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक-तंत्र (पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, कार्बन चक्र, इको-सिस्टम, संतुलन) 4-20
- जैव विविधता (आर्द्रभूमि, आर्द्रता संरक्षण) 21-40
- जैव विविधता का संरक्षण (राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य (पक्षी विहार), बाघ रिजर्व, हाथी रिजर्व, वन्यजीव संरक्षण, वन्य जीवसंरक्षण परियोजनाएँ) 41-69
- प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा (वन पारिस्थितिकी तंत्र, वनस्पति, मृदा, वनीकरण, वन पर्यावरण) 70-95
- पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण (पर्यावरण, पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण आन्दोलन, गिद्ध संरक्षण) 96-126
- वैकल्पिक ऊर्जा 127-148
- भारत एवं जलवायु परिवर्तन (जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण, सीओपी) 149-167
- जल संकट और संरक्षण 168-174
- सतत विकास 175-178
- पर्यावरण पुरस्कार एवं तिथियाँ 179-183
- पर्यावरण से सम्बन्धित राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय संगठन 184-190
- महत्वपूर्ण पर्यावरणविद् 191-193
- विविध 194-197
- परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न 198-200

(iii) **भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972**—यह अधिनियम जानवरों और पौधों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियम किया गया था।

42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 को 2002 में संशोधित किया गया था और बन्दी हाथियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन के पास पंजीकृत नहीं थे। यदि कोई हाथी घोषित किए बिना स्वामित्व में है, तो वन विभाग के पास अवैध स्वामित्व के आधार पर हाथी को रोकने का अधिकार है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-9 अनुसूची-I, II, III, IV के तहत सूचीबद्ध जानवरों के शिकार पर रोक लगाने की बात करती है। हाथी अनुसूची-I के तहत एक संरक्षित प्रजाति है। इन अनुसूचियों के तहत सूचीबद्ध जानवरों का शिकार करने पर भारी जुर्माना और 7 साल तक की कैद हो सकती है।

12 अगस्त को दुनियाभर में विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, हाथी धरती पर पाया जाने वाला सबसे विशाल प्राणी है।

(iv) **वन संरक्षण अधिनियम, 1980**—1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया जो वनों के संरक्षण, गैर वन्य उद्देश्य और वहाँ से जुड़े मामलों के लिए भूमि पर नियंत्रण आदि के लिए संरक्षण प्रदान करता है।

इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ—

किसी आरक्षित वन को गैर-आरक्षित बनाने या वन भूमि को गैर-वन भूमि के प्रायोजनों में बदलने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है।

वनोन्मूलन के उद्देश्य से किसी ऐसी भूमि को जहाँ प्राकृतिक रूप से वृक्ष उग गए हों, बिना केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लिए साफ नहीं किया जा सकता।

कोई भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी (Authority) किसी भी प्रत्यक्ष वन भूमि या उसके किसी हिस्से को केन्द्र सरकार की मंजूरी के बिना किसी भी निगम (Corporation), संगठन (Organisation) या एजेंसी (Agency) को पट्टे (Lease) पर नहीं सौंप सकती।

(v) **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986**—इस अधिनियम को 1986 में पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसमें जल, वायु और जमीन के परिवेश को सुधार कर संरक्षित करना है। यह केन्द्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है।

यह अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु सबसे व्यापक कानूनों में से एक है।

इस अधिनियम की विशेषताएँ—

यह अधिनियम सरकार को शक्ति देता है, कि वह दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रक्रियाओं और सुरक्षा को निर्धारित करें।

यदि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो सरकारी अधिकारी किसी भी उद्योग या ऑपरेशन को बंद/निषेध कर सकता है।

कोई व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन या किसी प्रावधान का पालन करने में विफल होता है तो उसे कारावास के साथ-साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है जो पाँच लाख या पाँच वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है या दोनों भी हो सकते हैं।

यह अधिनियम उस व्यक्ति पर तब तक प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होगा जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि अपराध उसकी जानकारी या सहमति से हुआ है।

यह व्यापक कानून है जो केन्द्र सरकार को प्रत्यक्ष रूप से यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अपने कार्यों में किसी नियामक संस्था या अधिकारी के हस्तक्षेप को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

वन उपज

वनों में प्राप्त होने वाले उत्पादों को वन उपज कहा जाता है। वन-उपज को भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित किया गया है।

वन-उपज के अंतर्गत इमारती लकड़ी, लकड़ी का कोयला, कुचुक, खैर, लकड़ी का तेल, राल, प्राकृतिक वारनिश, छाल, लाख, महुआ के फूल, महुला के बीज, कुथ और हरड़ भले ही वे वन में पायी या वन से लायी गई हों।

पीट, सतही मिट्टी, चट्टान और चूना पत्थर (खनिज तेल और खानों और खदानों की सब पैदावार सहित) वन उत्पाद की श्रेणी में आते हैं।

वन्य पशु और खालें, हाथी दाँत, सींग, हड्डियाँ, रेशम, रेशम के कोए, शहद और मोम तथा पशुओं के सब अन्य भाग या उत्पाद वन-उपज की श्रेणी में आते हैं।

वृक्ष और पत्ते, फूल और फल तथा वृक्षों के सब भाग और उपज, वन उपज की श्रेणी में आते हैं।

वे पौधे जो वृक्ष नहीं हैं (घास, बेलें, नरकुल और काई सहित) और ऐसे पौधों के सब भाग और उपज, वन-उपज की श्रेणी में आते हैं।

वन पारिस्थितिकी तंत्र

वन पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें पेड़-पौधों की प्रधानता के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर, पशु-पक्षियों की अनेकों प्रजातियाँ, झाड़ियाँ, लाइकेन, शैवाल आदि उपस्थित होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जैविक व अजैविक घटक उपस्थित होते हैं।

(i) **ऊष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन**—यह ऐसा वन पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसमें वर्षा की मात्रा 200 सेमी. से अधिक होती है। ये भूमध्य रेखा के आस-पास पाये जाने वाले वन होते हैं। इनमें सर्वाधिक जैव-विविधता पायी जाती है। भारत में ये मुख्यतः पश्चिमी घाट (सह्याद्री), शिलांग पठार, अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में पाये जाते हैं। सदाहरित वनों के पेड़ों की ऊँचाई 60 मी. से अधिक होती है। यहाँ महोगनी, आबनूस, सिनकोना, रबर आदि वृक्ष पाये जाते हैं।

(ii) **ऊष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन**—यह ऐसा वन पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसमें वर्षा की मात्रा 100-200 सेमी. के मध्य होती है। इन वनों का तापमान मध्यम होता है। ग्रीष्म ऋतु गर्म व शीत ऋतु मध्यम रूप से ठण्डी होती है। भारत में ये मुख्यतः सह्याद्री के पूर्वी ढलान पर शिवालिक श्रेणी के भांवर व तराई क्षेत्र में पाये जाते हैं।

(iii) **ज्वारीय वन**—यह वन पारिस्थितिकी तंत्र नदियों के डेल्टाई भाग के दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ मैंग्रोव, सुन्दरी, केवड़ा, कैजुरीना आदि के वृक्ष पाये जाते हैं। ज्वारीय वन समुद्री कटाव को रोकते हैं। ये जैव-विविधता से युक्त सदाहरित वन होते हैं।

फसल चक्र के उदहरण

- एक वर्षीय— चरी, वरसीम धान-गेहूँ-मूँग एवं टिण्डा-आलू-मूली-करेला।
- द्विवर्षीय—कपास-मटर-परती-गेहूँ, चरी-गेहूँ कम चरी-मटर।
- तीन वर्षीय—हरी खाद-आलू-गन्ना-पेडी, मूँगफली-अरहर-गन्ना-मूँग-गेहूँ।
- देश के विभिन्न भागों में पारिस्थितिकीय भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न प्रकार के फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान-गेहूँ आदि जिनकी पादप पोषक तत्व आवश्यकता एवं फसलों की उत्पादकता अधिक है। इसके कारण उर्वरता एवं उत्पादकता इस सघन कृषि पद्धति से घटती जा रही है। अतः एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबन्धन को अपनाना आवश्यक है, जिसमें खरीफ में 50 प्रतिशत एनपीके (N : P : K) रासायनिक तत्व जीवाश्म खाद से तथा 50% एनपीके (N : P : K) उर्वरकों से दिए जाने चाहिए।

भारत में फसलों का वर्गीकरण

- भारतीय कृषि प्रणाली में वर्ष में मुख्यतः तीन फसलें उगाई जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं—
- 1. **रबी की फसल**—यह सामान्यतया अक्टूबर-नवम्बर में बोकर अप्रैल-मई तक काट ली जाती है। सिंचाई की सहायता से तैयार होने वाली इस फसल में मुख्यतः गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई आदि की कृषि की जाती है।
- 2. **खरीफ की फसल**—यह वर्षा काल की फसल है, जो जून-जुलाई में बोकर सितम्बर-अक्टूबर तक काट ली जाती है। इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूँगफली, कपास, पटसन, तम्बाकू, मूँग, उड़द, लोबिया आदि की कृषि की जाती है।
- 3. **जायद की फसल**—यह फसल रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में अर्थात् मार्च में बोकर जून तक काट ली जाती है। इसमें सिंचाई के माध्यम से सब्जियों, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला आदि की कृषि की जाती है। मूँग, उड़द व कुल्थी जैसी दलहन फसलें भी इस समय उगायी जाती हैं।
- भारत का कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है।

कार्बन क्रेडिट

- क्योटो प्रोटोकॉल में हर राष्ट्र के कार्बन उत्सर्जन की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई। यदि कोई राष्ट्र अपनी सीमा से जितना कम कार्बन डाई-ऑक्साइड का उत्सर्जन करता है तो वह उतना कार्बन क्रेडिट कमाता है, इसे कार्बन साख भी कहा जाता है।
- अपनी सीमा से अधिक CO₂ उत्सर्जित करने वाले राष्ट्र कार्बन क्रेडिट वाले राष्ट्रों से कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं।
- कार्बन क्रेडिट को खरीदने को कार्बन ट्रेडिंग कहा जाता है।
- Powernext, Chicago Climate Exchange, Nordpool, European, Carbon Exchange प्रमुख कार्बन ट्रेडिंग कम्पनी हैं।

COP-27 (Conference of Parties-27)

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change) का 27वाँ सम्मेलन (COP-27) का आयोजन मिश्र के शहर शर्म अल शेख में हुआ।
- COP-26 का आयोजन ब्रिटेन के ग्लासगो में हुआ था जबकि COP-28 का आयोजन साऊदी अरब अमीरात के दुबई में होगा।

COP-27 की विशेषताएँ

- COP-27 में जलवायु परिवर्तन से कमजोर देशों में आयी आपदाओं के वित्त पोषण के लिए **लॉस एण्ड डैमेज फण्ड** (Loss and Damage Fund) बनाने की के समझौते पर हस्ताक्षर किए गये।
- COP-27 में विकासशील देशों में जलवायु प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक नया पंचवर्षीय कार्यक्रम शुरू किया गया।
- शर्म अल शेख अनुकूलन एजेण्डा के तहत 2030 तक सबसे अधिक जलवायु संवदेनशील समुदायों में रहने वाले 4 अरब लोगों के लिए 30 अनुकूलन परिणामों की रूपरेखा तैयार करना।

कृषिवानिकी

- कृषि वानिकी एक भूमि उपयोग प्रणाली या एक कृषि प्रणाली है जो वृक्षारोपण, फसल उत्पादन और पशुपालन को इस तरह से एकीकृत करती है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यन्त उपयोगी हो अर्थात् फसलों के साथ-साथ पेड़-पौधों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों का लाभ प्राप्त करना ही कृषि वानिकी कहलाता है।
- कृषि वानिकी के महत्व—
 - ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक लाभ बढ़ता है तथा इमारती लकड़ी व अन्य प्रकार की लकड़ी की पूर्ति में सहयोग मिलता है तथा फल उत्पादन से भी आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।
 - वनों के बाहर वृक्षावरण का विस्तार होता है अथवा वृक्षावरण में वृद्धि होती है जो कार्बन सिंक का कार्य करते हैं तथा कार्बन प्रच्छादन में योगदान देते हैं।
 - पेड़ों से पत्तियाँ मृदा में गिरने से मृदा के पोषक तत्वों में वृद्धि होती है।
- भारत राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति अपनाने वाला विश्व का पहला देश है। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार, उत्पादन व पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।


मानव-वन्यजीव संघर्ष

- मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict-HWC) वे संघर्ष होते हैं जो उस स्थिति में उत्पन्न होते हैं जब वन्यजीवों की उपस्थिति या व्यवहार मानव हितों या जरूरतों के लिए वास्तव में या प्रत्यक्ष आवर्ती खतरों का कारण बनता है जिसके कारण लोगों जानवरों, संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण—
 - संरक्षित क्षेत्रों का अभाव
 - वन्यजीव जनित संक्रमण
 - शहरीकरण
 - परिवहन तंत्र
 - बढ़ती मानव जनसंख्या

- समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण सोडियम क्लोराइड है।
- पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न समुद्र आपस में मिले हुए हैं। ये बँटे हुए नहीं हैं जैसा कि स्थलीय महाद्वीपों के बीच देखने को मिलता है।
- ध्रुवों (Poles) तथा मध्य रेखा (Equator) के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। इससे समुद्री धाराएँ उत्पन्न होती हैं। इन समुद्री धाराओं के कारण जल का सारे समुद्र में एक-सा मिश्रण बना रहता है।
- इस कारण तापमानों का स्तरण (जैसा कि झीलों में होता है) नहीं होता और जल में ऑक्सीजन की कमी भी नहीं हो पाती है।
- समुद्र में ज्वार-भाटे आते रहते हैं जिससे जल स्तर बदलता रहता है।

पारिस्थितिकी तंत्र के घटक (Components of Eco-system)


- प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में जीवीय (Biotic) एवं अजीवीय (Abiotic) दो मुख्य घटक होते हैं— (i) जैविक घटक, (ii) अजैविक घटक।



- (A) **जैविक घटक (Biotic Components)**—जीवीय घटक वे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं।
- सभी जीवधारियों को जीवित रहने, प्रजनन तथा वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के द्वारा इन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है।
 - पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है जिसके द्वारा विकिरण ऊर्जा (Radiant Energy) प्राप्त होती है।
 - हर पौधे इस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विभिन्न जीवधारियों में ऊर्जा का तल (Energy Level) भिन्न-भिन्न होता है। वे जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तथा दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, **स्वयंपोषी (Autotroph)** कहलाते हैं। इसके अन्तर्गत सभी हरे पौधे आते हैं। दूसरे जीवधारी जो भोजन के लिए सदैव दूसरों पर निर्भर रहते हैं, **परपोषी** कहलाते हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र (Eco-system)


- पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए.जी. टेन्सले ने 1935 में किया था। उनके अनुसार किसी भी स्थान के जीवीय समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाये जाने वाले अजीवीय वातावरण में पारस्परिक सम्बन्ध होता है और दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं।
- समुदायों के जीवों की रचना, कार्य व उनके वातावरण के पारस्परिक सम्बन्ध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं।
- विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल (Hydrosphere) का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है। यह पृथ्वी के लगभग 70% सतह के ऊपर विस्तृत है।



पारिस्थितिकी तंत्र के जीवीय घटक तीन हैं—

- (i) **उत्पादक (Producers)**—इसके अन्तर्गत वे सभी हरे पौधे आते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) की क्रिया द्वारा CO_2 एवं

भारत आर्द्रभूमि, स्थल



- संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स सचिवालय ने उन्नाव के नवाबगंज पक्षी विहार, गोंडा की पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, मैनपुर का समान पक्षी विहार रायबरेली की समसपुर पक्षी विहार, हरदोई का सांडी पक्षी विहार इटावा के सरसई नावर झील। यह सभी उत्तर प्रदेश के 6 वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि) और पंजाब के तीन पक्षी विहारों—केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नंगल वाइल्ड लाइन सेंचुरी तथा व्यास कंजर्वेशन रिजर्व और महाराष्ट्र का एक पक्षी विहार—नंदुर पदमहेश्वर नासिक को भी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है।
- गुजरात के गाँधीनगर में प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन में रामसर कन्वेंशन की महासचिव ने 19 फरवरी 2020 को रामसर साइट का दर्जा प्रदान करने से सम्बंधित प्रमाणपत्र प्रदान किया है।

- 16 अक्टूबर 2020 तक भारत की कुल रामसर साइट की संख्या 39 हो गई है।


भारत के जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र

- भारत सरकार ने अब तक 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं जिनमें से निम्न 10 को यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में सम्मिलित किया है—(i) नीलगिरि, (ii) नंदा देवी, (iii) सुंदरवन, (iv) मन्नार की खाड़ी, (v) नोकरेक, (vi) पंचमढी, (vii) सिमलीपाल, (viii) अचानकमार-अमरकंटक, (ix) ग्रेट निकोबार एवं (x) अगस्त्यमलाई।

- पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य संरक्षित वन्य पशु बाघ एवं हाथी हैं।
- मणिपुर में स्थित केइबुल लाम्जाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र प्लवमान (Floating) पार्क है। यह पार्क प्लवमान अपघटित पौधों से युक्त है जिनका स्थानिक नाम फुमडिस (Phumdis) है।
- महान ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क (GHNP) हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। वर्ष 1984 में बनाए गए इस पार्क को वर्ष 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। यह पार्क अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय के भूरे भालू वाले इस पार्क में समशीतोष्ण एवं एलपाइन वन पाए जाते हैं। इस पार्क में 30 से अधिक स्तनधारियों एवं 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 23 जून, 2014 को यूनेस्को ने दोहा में आयोजित 38वें सत्र में इसे प्राकृतिक विश्व धरोहर का दर्जा दिया।
- सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान (पूर्व नाम—सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य) हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है।

- ध्यातव्य है कि भूटान के 12922 वर्ग किमी. क्षेत्र पर राष्ट्रीय पार्क का विस्तार है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र (38394 वर्ग किमी.) का लगभग 33.66% हिस्सा है।
- नीलगिरि की 'मेघ बकरियाँ' इरावीकुलम राष्ट्रीय पार्क में पायी जाती हैं। यह दुर्लभ पर्वतीय बकरियाँ हैं जिन्हें नीलगिरि तहर भी कहा जाता है।
- अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों तथा उनसे सम्बन्धित मुख्य संरक्षित वन्य पशुओं का सुमेलन निम्नानुसार है—

अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान	मुख्य संरक्षित वन्य पशु
काजीरंगा	गैंडा
गिर	शेर
सुंदरवन	बाघ
पेरियार	हाथी



भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का अद्यतन विवरण

राष्ट्रीय उद्यान	वर्ष	जिला
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (9)		
1. कैम्बेल वे राष्ट्रीय उद्यान	1992	निकोबार
2. ग्लाथिया वे राष्ट्रीय उद्यान	1992	निकोबार
3. महात्मा गांधी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान	1983	अंडमान
4. मिडिल बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान	1987	अंडमान
5. माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान	1987	अंडमान
6. नॉर्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान	1997	अंडमान
7. रानी झाँसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान	1996	अंडमान
8. सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान	1987	अंडमान
9. साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान	1987	अंडमान
तेलंगाना (3)		
1. केसु ब्रह्मानन्द रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान	1998	हैदराबाद
2. महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान	1994	रंगारेड्डी
3. मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान	1994	रंगारेड्डी
आंध्र प्रदेश (3)		
1. पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान	2008	रंगारेड्डी
2. राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान	2005	कड़पा
3. श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान	1989	कूडप्पा चित्तूर
अरुणाचल प्रदेश (2)		
1. माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान	1986	अपर सियांग
2. नामदफा राष्ट्रीय उद्यान	1983	चंगलांग
असोम (6)		
1. डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान	1999	तिनसुकिया
2. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	1974	सोनितपुर
3. मानस राष्ट्रीय उद्यान	1990	बारपेटा, वौगाइगांव
4. नामेरी राष्ट्रीय उद्यान	1998	सोनितपुर
5. राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान	1999	सोनितपुर
6. डेहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान	2020	डिब्रूगढ़
बिहार (1)		
1. वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान	1989	पश्चिमी चंपारण
छत्तीसगढ़ (3)		
1. इंद्रावती (कूटरू) राष्ट्रीय उद्यान	1982	दांतेवाड़ा
2. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	1982	बस्तर
3. गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान	1981	सरगुजा
गोवा (1)		
1. भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान	1992	उत्तरी गोवा
गुजरात (4)		
1. बंसदा राष्ट्रीय उद्यान	1979	वालसाड़


राष्ट्रीय उद्यान	वर्ष	जिला
2. ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान	1976	भावनगर
3. गिर वन राष्ट्रीय उद्यान	1975	जूनागढ़
4. मरीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी	1982	जामनगर
हरियाणा (2)		
1. कालेसर राष्ट्रीय उद्यान	2003	यमुना नगर
2. सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान	1989	गुडगांव
हिमाचल प्रदेश (5)		
1. ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान	1984	कुल्लू
2. इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान	2010	कुल्लू
3. खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान	2010	कुल्लू
4. पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान	1987	लाहुल
5. सिमबलबारा राष्ट्रीय उद्यान	2010	सिरमौर
जम्मू-कश्मीर (3)		
1. सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान	1992	श्रीनगर
2. दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान	1981	श्रीनगर
3. किश्तवार राष्ट्रीय उद्यान	1981	डोडा
झारखंड (1)		
1. बेतला राष्ट्रीय उद्यान	1986	लातेहर
कर्नाटक (5)		
1. अंशी राष्ट्रीय उद्यान	1987	उत्तरी कन्नड़
2. बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान	1974	मैसूर
3. बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान	1974	बंगलुरु
4. कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान	1987	चिकमंगलूर
5. राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान	1988	कोडागू, मैसूर
केरल (6)		
1. अन्नईमुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान	2003	इडुक्की
2. इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान	1978	इडुक्की
3. मथिकेट्टन शोला राष्ट्रीय उद्यान	2003	इडुक्की
4. पम्पादम शोला राष्ट्रीय उद्यान	2003	इडुक्की
5. पेरियार राष्ट्रीय उद्यान	1982	इडुक्की
6. साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान	1984	पलक्कड़
मध्य प्रदेश (10)		
1. बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	1968	उमरिया
2. जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान	1983	मांडला
3. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	1955	मांडला बालाघाट, डिनडोरी
4. माधव राष्ट्रीय उद्यान	1959	पन्ना, छतरपुर
5. पेंच (प्रियदर्शिनी) राष्ट्रीय उद्यान	1975	सिवनी, छिंदवाड़ा
6. संजय राष्ट्रीय उद्यान	1981	सिद्धी

- ❖ विश्व में सबसे ऊँचाई पर नामदफा बाघ रिजर्व (अरुणाचल प्रदेश) स्थित है।
- ❖ विश्व का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला रिजर्व क्षेत्र काजीरंगा (असम) है।
- ❖ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने आठ नये बाघ आरक्षित वन क्षेत्र बनाने के लिए सिद्धान्त रूप से पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), रातापानी (मध्य प्रदेश), सुनाबेदा (ओडिशा), मुकुन्दरा पहाड़ियाँ (जवाहर सागर तथा चम्बल वन्य-जीव विहारों सहित राजस्थान), सत्यमंगलम (तमिलनाडु) और कुद्रेमुख (कर्नाटक) आदि में कार्य शुरू किया।
- ❖ एशियाई बब्बर शेर (Asiatic Lion) का निवास गिरि वन है। इसे 'एशियाई सिंहों का घर' कहा जाता है।
- ❖ भारत में मध्य प्रदेश को 'टाइगर स्टेट' के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कुल बाघों की संख्या के लगभग एक-तिहाई बाघ पाये जाते हैं।
- ❖ सफेद बाघों के लिए ओडिशा का नन्दन कानन बाघ अभयारण्य प्रसिद्ध है।
- ❖ मध्य प्रदेश के कान्हा किसली नामक राष्ट्रीय उद्यान को सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया।
- ❖ वन्य प्राणी बाघ की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
- ❖ प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को 'अन्तर्राष्ट्रीय बाघ दिवस' के रूप में मनाए जाने का निर्णय वर्ष 2010 में आयोजित सेंटपीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया था।

- ❖ भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास (आंध्र प्रदेश) का नागार्जुन सागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात् नागार्जुन सागर-श्रीशैलम बाघ अभयारण्य का 3296.31 वर्ग किमी. क्षेत्र आंध्र प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत आता है। जबकि नागार्जुन सागर-श्रीशैलम बाघ अभयारण्य का 2611.39 वर्ग किमी. क्षेत्र तेलंगाना की सीमा में है जिसे अब अमराबाद बाघ अभयारण्य के नाम से जाना जाता है।
- ❖ हाल ही में कर्नाटक स्थित बांदीपुर बाघ अभयारण्य ने वन्यजीव प्रबन्धन हेतु मानवरहित विमान (ड्रोन) का उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया है।
- ❖ दाम्पा टाइगर रिजर्व को वर्ष 1994 में बाघ अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। यह मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में स्थित है। सारामती चोटी (शिखर) भारत के नगालैण्ड राज्य एवं बर्मा के सर्गैंग क्षेत्र में विस्तृत है।
- ❖ अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा आर्कटिक तक परिवर्तित होती है।
- ❖ बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में है।
- ❖ सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। इसे वर्ष 1955 में वन्यजीव अभयारण्य जबकि वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था।
- ❖ पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश (90%) और महाराष्ट्र (10%) में है, जबकि कान्हा का मध्य प्रदेश, मानस का असम और सरिस्का का राजस्थान में ही विस्तार है।

भारत में बाघ आरक्षित क्षेत्रों की स्थिति				
क्र.सं.	राज्य	बाघ आरक्षित क्षेत्र	वर्ष	क्षेत्र (वर्ग किमी.)
I	असम (4)	1. काजीरंगा	2006	859
		2. मानस	1973-74	2837
		3. नामेरी	1999-2000	344
		4. ओरांग	2016	783
II	अरुणाचल प्रदेश (3)	5. नामदफा	1982-83	1985.245
		6. पक्के या पखुई	1999-2000	861.95
		7. कामलांग	2016	783
III	आंध्र प्रदेश (1)	8. नागार्जुन सागर-श्रीसेलम	1982-83	3568.09
IV	तेलंगाना (2)	9. कावल (अहमदाबाद)	2012	893
		10. अमराबाद	1983	3728
V	बिहार (1)	11. वाल्मीकि	1989-90	840.26
VI	छत्तीसगढ़ (3)	12. इंद्रावती	1982-83	2799.086
		13. अचानकमार	2009	553.286
		14. उदंती-सीतानदी	2008-09	1580
VII	झारखण्ड (1)	15. पलामू	1973-74	1026
VIII	कर्नाटक (5)	16. बांदीपुर	1973-74	1456
		17. नागरहोल	1999-2000	643.39
		18. भद्रा	1998-99	451.69
		19. दांदेली-अंशी	2007	875
		20. बिलीगिरि	2011	574.82
IX	केरल (2)	21. पेरियार	1978-79	777
		22. पारम्बिकुलम्	2007	648.5

भारत में हाथी रिजर्व



भारत में 32 अधिसूचित हाथी आरक्षित क्षेत्र

क्र.सं.	हाथी रेंज	हाथी आरक्षित क्षेत्र	राज्य	क्षेत्र (वर्ग किमी.)
I	पूर्वी भारत (दक्षिणी-पश्चिमी बंगाल, झारखण्ड, ओडिशा)	1. मयूर झरना	पश्चिम बंगाल	414
		2. सिंहभूम	झारखण्ड	4530
		3. मयूरभंज	ओडिशा	3214
		4. महानदी	ओडिशा	1038
		5. संबलपुर	झारखण्ड	427
		6. वैतरणी	ओडिशा	1755
		7. दक्षिण ओडिशा	ओडिशा	4216
		8. लेमरु	छत्तीसगढ़	450
		9. बादलखोल तमोरपिंगला	छत्तीसगढ़	1048.30
II	उत्तरी ब्रह्मपुत्र (अरुणाचल प्रदेश-असम)	10. कामेंग	अरुणाचल प्रदेश	1892
		11. सोनितपुर	असम	1420
III	दक्षिण ब्रह्मपुत्र (असम-अरुणाचल प्रदेश)	12. दिहिंग-पटकाई	असम	937
		13. दक्षिण अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	1957.50

- ब्लू माउन्टेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रदेश में है ?
—मिजोरम में
- 'अपना वन अपना धन' योजना किस राज्य में चलाई जा रही है ?
—हिमाचल प्रदेश द्वारा
- सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान की पारिस्थितिकी किस वृक्ष समूह पर आधारित है ?
—मैग्रोव वृक्ष समूह पर

- केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में कौन-सी नदियाँ बहती हैं ?
—बाणगंगा तथा गंभीरी
- भारत के कुछ प्रमुख संकटापन्न पक्षियों के नाम बताइये ?
—सारंग, श्वेत सारंग, धूसर बगुला, काला गरुड़, पर्वतीय बटेर, कॉमन क्रेन, हार्न बिल आदि
- संसार का सबसे छोटा एवं बड़ा पक्षी कौन-सा है ?
—क्रमशः हमिंग बर्ड एवं शुतुरमुर्ग

वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएँ		
परियोजना	प्रारम्भ वर्ष	विशेष बिन्दु
1. बाघ परियोजना	1973	बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना।
2. गिद्ध संरक्षण परियोजना	2006	तेजी से खत्म होते गिद्धों को बचना। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनाक नामक दवा है।
3. गिर सिंह परियोजना	1972	गिर अभयारण्य में केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रारम्भ। गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किमी. क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ एशियाई शेर पाये जाते हैं।
4. हाथी परियोजना	1992	केन्द्र सरकार द्वारा 17 दिसम्बर, 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारम्भ। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभयारण्य (केरल), मानस अभयारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम), राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखण्ड)।
5. कस्तूरी मृग परियोजना	1970	कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 के दशक में प्रारम्भ। कस्तूरी केवल नर मृग में पायी जाती है। ये मृग हिमाचल की चम्बा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाये जाते हैं।
6. लाल पांडा परियोजना	1996	विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारम्भ। लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश (केट बियर के नाम से प्रसिद्ध) तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है।
7. थामिन मृग परियोजना	1977	थामिन मृग मणिपुर में पाये जाते हैं। विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है।
8. कछुआ संरक्षण परियोजना	1975	ओडिशा के भीतरकनिका अभयारण्य में पाया जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिकी कछुए की प्रजाति है।
9. गैंडा परियोजना	1987	एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। असम के मानस अभयारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जलदापारा अभयारण्य गैंडों की मुख्य शरणस्थली है।
10. घड़ियाल प्रजनन परियोजना	1975	भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से ओडिशा से यह परियोजना प्रारम्भ की। इसी योजना का विस्तार कुकरैल (लखनऊ, उत्तर प्रदेश), राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार व नगालैण्ड में भी किया गया है।

प्रमुख संरक्षित क्षेत्र और संबद्ध प्रजातियाँ		
संरक्षित क्षेत्र	राज्य	प्रजातियाँ
1. डंपा बाघ आरक्षित क्षेत्र	मिजोरम	बाघ
2. मानस बाघ आरक्षित क्षेत्र	असम	पिग्मी डॉग, गैंडा, हाथी
3. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	असम	गैंडा, बाघ, हाथी
4. काइबुल लामजाओ अभयारण्य	मणिपुर	संगम हिरण (लोकतक)
5. फाकिम अभयारण्य	नगालैंड	बाघ, घड़ियाल, हाथी
6. इटांकी राष्ट्रीय उद्यान	नगालैंड	स्तनपायी
7. मुलेन राष्ट्रीय उद्यान	मिजोरम	स्तनपायी
8. नामदफा राष्ट्रीय उद्यान	आंध्र प्रदेश	स्तनपायी

संरक्षित क्षेत्र	राज्य	प्रजातियाँ
9. नामेरी राष्ट्रीय उद्यान	असम	स्तनपायी
10. फांगपुरई ब्लू माउन्टेन	मिजोरम	स्तनपायी
11. कर्बी राष्ट्रीय उद्यान	नगालैंड	स्तनपायी एवं पक्षी
12. पद्मजानायडू हिमालयी जन्तु उद्यान	पश्चिम बंगाल	लाल पांडा
13. गुमरी वन्य जीव अभयारण्य	त्रिपुरा	हाथी, सरीसृप
14. हूलोगपार गिबन अभयारण्य	असम	हुलांग, गिबन
15. सेस्सा आर्किड उद्यान	अरुणाचल प्रदेश	ऑर्किड
16. कच्छ का रण	गुजरात	जंगली गधा